राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांक निदेशक (जन स्वा0)/सू0अ0–5/प्रथम अपील/2021/ दिनांक

<u>आदेश</u>

राज्य सरकार के आदेश कंमाक प.33(2)/गृह–9/2019 दिनांक 18.04.2021 द्वारा जारी गाईड़लाईन की अनुपालना में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जनसूचना अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत प्राप्त अपील जिनमें दिनांक 19.04.2021 एवं 29.04.2021 को सुनवाई निर्धारित है एतद् द्वारा आगामी तिथि तक स्थगित की जाती है। आगामी सुनवाई तिथि की सूचना कोविड़ गाईडलाईन अनुसार प्रथक से सूचित कर दी जावेगी।

(डॉ0 के0 के0 शर्मा)
अपीलेन्ट अधिकारी एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांक निदेशक (जन स्वा0)/सू0अ0–5/प्रथम अपील /2021/24 दिनांक 19.04.2021

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं समंधित अपीलार्थी को सूनवाई तिथि स्थगन की सूचना भिजवाने हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त निदेशक, राजपत्रित/ग्रामीण स्वास्थ्य निदेशालय मुख्यालय।
2. संयुक्त निदेशक, अराजपत्रित निदेशालय मुख्यालय।
3. समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान/समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
5. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि वर्णित आदेश को विभागीरा वेबसाईट पर अपलोड़ करावे।

(डॉ0 के0 के0 शर्मा)
अपीलेन्ट अधिकारी एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।